प्रेस - नोट

जनपद- अम्बेडकरनगर

दिनांक 16.08.2025

जनपद अम्बेडकरनगर थाना हँसवर व SOG की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा फर्जी शस्त्र लाइसेंस पर अवैध रुप से कारतूस क्रय कर विक्रय करने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 143/25 से सम्बन्धित 03 नफर अभियुक्तगण व मु0अ0सं0 144/25 से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद अम्बेडकरनगर में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय श्री केशव कुमार के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण अभियान के क्रम में दिनांक 15/8/2025 की सुबह लगभग 12:30 बजे मुखबिर की सूचना पर अनुराग यादव निवासी थाना बसखारी को हंसवर क्षेत्र में एक अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया था । तत्समय जिसके विरुद्ध मु0अ0सं0 142/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर बाद पूछताछ की गई। पुलिस टीम द्वारा पूछताछ के क्रम में प्राप्त लाभप्रद जानकारी के अनुसार उपरोक्त अभियुक्त के मोबाइल चेक करने से ज्ञात हुआ कि उक्त अभियुक्त ज्ञानचन्द निवासी अतरौलिया आजमगढ़ से कारतूस खरीदता था । अनुराग से ज्ञानचन्द को फोन कराया गया तथा कारतूस देने के लिए हंसवर थाना क्षेत्र में बुलाया गया। ज्ञानचन्द कारतूस देने की मंशा से हंसवर क्षेत्र में आया । ज्ञानचन्द निवासी अतरौलीया आजमगढ़ को गिरफ्तार करने के पश्चात ज्ञानचन्द के पास से दो कूटरचित शस्त्र लाइसेंस व पांच कारतूस .315 बोर बरामद हुए । शस्त्र लाइसेंस चेक करने पर फर्जी प्रतीत हो रहे थे दोनों शस्त्र लाइसेंस का सत्यापन शस्त्रधारी के सम्बन्धित थाना से कराया गया। दोनों शस्त्र लाइसेन्स थाना रिकॅार्ड में उपलब्ध नहीं मिले । तत्पश्चात लाइसेंस में दिए गए पते पर सत्यापन कराया गया तो सम्बन्धित व्यक्ति मौजूद मिले और उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा लाइसेंस के लिए आवेदन तो किया गया था पर आज तक उनको शस्त्र लाइसेंस प्राप्त नहीं हुए है। दोनों फर्जी शस्त्र लाइसेंस पर अवध गन हाउस थाना अकबरपुर से भारी मात्रा में कारतूस खरीदे गए थे । थाना अकबरपुर जाकर अवध गन हाउस का रजिस्टर चेक किया गया तो पाया गया की दोनों शस्त्र लाइसेंस से मानक से अधिक कारतूस खरीदे गए हैं । रजिस्टर चेक करने पर एक पैटर्न प्रतीत हुआ जिसमें तीन चार लाइसेंस से एक ही साथ एक ही दिन कारतूस खरीदे जाते थे तथा रिसीवर के आगे जो हस्ताक्षर किए गए थे वह एक ही व्यक्ति द्वारा नाम बदल बदल कर किए गए हैं ऐसा प्रतीत हो रहा था।

तत्काल सम्बन्धित मजिस्ट्रेट व क्षेत्राधिकारी नगर महोदय को सूचित कर सम्बन्धित शस्त्र लाइसेंस की दुकान अवध गन हाउस को सीज कराया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना हंसवर पर मु0अ0सं0 143/25 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुआ । दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 61(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा गन हाउस के मालिक सुखीलाल वर्मा व मुनीम विकास कुमार का नाम प्रकाश में आया जिन्हे गिरफ्तार किया गया है । पूछताछ पर ज्ञानचन्द ने बताया की उसके पास फर्जी लाइसेंस और हैं जिन्हें वह रिकवर करा सकता है । सम्बन्धित फर्जी लाइसेंस व लाइसेंस बनाने वाले की जानकारी की जा रही है अभि0 ज्ञानचन्द का फोन चेक करने के पश्चात ज्ञात हुआ कि आज उसने आर्यन यादव उर्फ शनि निवासी बसखारी व हेमन्त यादव उर्फ सन्नू निवासी बसखारी को भी कारतूस बेचे है । जिन्हें गिरफ्तार कर इनके विरुद्ध मु0अ0सं0 144/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है । जिसका विवरण निम्नवत है ।

01.मु0अ0सं0 143/25 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2)/61(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हंसवर जनपद अम्बेडकरनगर।

नाम-पता गिरफ्तार अभियुक्तगण –

01.ज्ञानचन्द पुत्र जियालाल नि0 अनन्तपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष।

02.सुखीलाल वर्मा पुत्र स्व0 बद्री प्रसाद वर्मा निवासी शेखपुरा कटेरिया याकूबपुर थाना को0 अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर। (मालिक अवध गन हाउस अकबरपुर)

03.विकास कुमार पुत्र दयाराम नि0 लालाकोटवा महमदपुर थाना को0 अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर। (मुनीम अवध गन हाउस अकबरपुर)

विवरण बरामदगी –

1.05 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

2.02 अदद शस्त्र लाइसेंस

3.एक अदद मोटरसाइकिल UP 50 AK 8891 हीरो स्पलेण्डर प्रो

गिरफ्तारी दिनांक व स्थान- 16.08.25 घटना स्थल मोहम्मदपुर मुसलमान टडवा धारुपुर जाने वाले मार्ग ट्यूबेल के पास।

02.मु0अ0सं0 144/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हंसवर जनपद अम्बेडकरनगर।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण –

01.आर्यन यादव उर्फ शनि यादव पुत्र बाबूराम यादव नि0 नूरीगली बसखारी थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर।

- **आपराधिक इतिहास अभियुक्त आर्यन उपरोक्त –**
- मु0अ0सं0 119/22 धारा 302/120बी भादवि थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर।

02.हेमन्त यादव उर्फ सन्नू पुत्र सचितानन्द यादव नि0 एदीलपुर डोडो थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर।

विवरण बरामदगी-

1. **03 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर (अभि0 आर्यन के कब्जे से)**
2. **02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर (अभि0 हेमन्त के कब्जे से)**

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक- **सिंहपुर मजरे सेमरानसीरपुर बाद दिनांक 16.08.25 समय 11.20 बजे**

विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. **एसएचओ श्री वीरेन्द्र बाहदुर सिंह थाना हंसवर**
2. **उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार थाना हंसवर**
3. **उ0नि0 श्री श्रवण कुमार थाना हंसवर**
4. **उ0नि0 श्री संजय सिंह थाना हंसवर**
5. **उ0नि0 श्री उस्मान गनी थाना हंसवर**
6. **का0 प्रदीप यादव थाना हंसवर**
7. **का0 जितेन्द्र सरोज थाना हंसवर**
8. **का0 ज्ञानेन्द्र यादव थाना हंसवर**

एसओजी टीम,अम्बेडकरनगर-

1. **उ0नि0 श्री विनोद यादव (प्रभारी एसोजी)**
2. **उ0नि0 श्री मो0 ताहिर खान**
3. **हे0का0 प्रभात मौर्या**
4. **का0 विजेन्द्र यादव**
5. **का0 राहुल यादव**
6. **का0 जाकिर हुसैन**

सर्विलांस टीम,अम्बेडकरनगर-

1. **उ0नि0 श्री प्रभाकान्त तिवारी (प्रभारी सर्विलंस)**
2. **हे0का0 उमेश यादव**
3. **का0 विपिन राठौर**
4. **का0 शिवम शर्मा**
5. **का0 सौरभ पाण्डेय**